

13/5
25 पत्रावली पैरा 135। वकील प्राची बाबूद सूचना के उपरिषत नही भाए बार-बार हाथो लगाई गई फिर भी कोर्ट उपरिषत नही हाए न ही इतकी औरसे क्रिमी ने उपरिषत दी गई। अतः प्राची का अधीन पत्र अन्तर्गत चारा भादवा 29 नियम 2 ए जा.सू. का अदम हाजरी अदम पैरा में खरीज किया जाता है। पत्रावली क्रैसल शुमार होकर नम्बरसे कम हो

13/5/25
अखण्ड अधिकारी
दूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

